

मूलतः मजदूरी अधिनियम-1948 के अन्तर्गत राजका सन्धि-194/36-2-2014-07 (प्लूबो) / 4 दिनांक 28-1-2014 द्वारा 89 तथा अधिसूचना सन्धि-850/36-03-2019-931(प्लूबो)/08 दिनांक 30 सितम्बर 2019 द्वारा 15 अनुसूचित विद्योजनों में नियोजित कर्मचारियों हेतु मजदूरी की मूल दरों एवं परिवर्तनीय महगाई भत्ते का निर्धारण किया गया है। मजदूरी की जो दर दैनिक आधार पर निर्धारित की गयी है उसकी दैनिक दर मूल मजदूरी और परिवर्तनीय महगाई भत्ते के 1/26 से कम तथा प्रति घंटे दर दैनिक दर का 1/6 से कम न होगी।

उक्त के अनुक्रम में विनियोजित 74 विद्योजनों में नियोजित कर्मचारियों के लिये अधिल भारतीय उपभोक्ता सूचकांक आधार वर्ष (2001-100) का जुलाई 2012 से दिसम्बर 2012 के औसत 345 अंकों के ऊपर जनवरी 2021 से दिसम्बर 2021 के औसत अंक 345 अंकों पर दिनांक 1.10.2021 से दिनांक 31.3.2022 तक की अवधि हेतु परिवर्तनीय महगाई भत्ता विनियोजित दुष्टता की भौति गणना करके देय होगा-
दुष्टता- रूपरे-5750/- प्रतिमाह मजदूरी धाने वाले अनुसूचित श्रेणी के कर्मचारियों को औसत उपभोक्ता मूल सूचकांक-345 पर दिनांक 01-10-2021 से दिनांक 31-3-2022 तक की अवधि हेतु देय परिवर्तनीय महगाई भत्ता विनियोजित होगा।
(345-216) X 5750-80-3434/- प्रतिमाह

219 विभिन्न श्रेणी के कर्मचारियों को देय प्रतिमाह मूल मजदूरी परिवर्तनीय महगाई भत्ता मासिक एवं दैनिक मजदूरी की दरें विनियत हैं-
दिनांक 01.10.2021 से 31.3.2022 तक

क्र.सं.	श्रेणी	प्रतिमाह मूल मजदूरी रूपरे में	प्रतिमाह परिवर्तनीय महगाई भत्ता रूपरे में		कुल मजदूरी (रूपरे में)	दैनिक मजदूरी (रूपरे में)
			दिनांक 01.4.2021 से 30.9.2021 तक	दिनांक 01.10.2021 से 31.3.2022 तक		
1	2	3	4	5	6	7
1	अकुशल	5750	3008	3434	9184	353.23
2	अधिकशाल	6325	3309	3777.29	10,102.29	389
3	जुरात	7085	3706	4231.16	11318.16	435.23

विद्योजन के नाम-

1. खर की विनिर्माणशाला और खर उत्पाद(हाथर और टयूम सहित) के उद्योग।
2. प्लास्टिक उद्योग और प्लास्टिक उत्पाद के उद्योग।
3. मिथान उद्योग।
4. कसित पेयों (एरोटेड ड्रिक्स) के विनिर्माण।
5. फलों के रसों की विनिर्माणशाला।
6. फसतदार लकड़ी (प्लाईवुड) के उद्योग।
7. पेट्रोल और डीजल आवत पम्प।
8. डेरी और मिल्क डेरी।
9. शिखे शिलाने कपड़ों की विनिर्माणशाला।
10. बॉय लटबन्ध के निर्माण और अनुस्वण, सिधाई परियोजनाओं कुर्जों और तालाबों की खुदाई।
11. उन समस्त रजिस्ट्रीकृत कारखानों में विद्योजन, जिनका उल्लेख पहले नहीं किया गया है।
12. प्राइवेट अस्पताल(नर्सिंग होम्स) एवं प्राइवेट क्लीनिकों और प्राइवेट डाक्टरों सामान की दुकानों।
13. इलाई घर।
14. धातु उद्योग।
15. टिन प्लेट शोपिंग और टिन प्रिंटिंग।
16. ऐसे अधिव्ययन उद्योग जिसमें 50 से कम व्यक्ति नियोजित हों।
17. धर्म शोधनशाला और धर्म विनिर्माण शाला।
18. धर्म वस्तु विनिर्माण उद्योग।
19. होजरी सक्में।
20. निजी पुस्तकालय।
21. काष्ठ सक्में और कनीधर उद्योग।
22. प्राइवेट कोचिंग कक्षाओं प्राइवेट विद्यालयों, जिनमें नर्सरी स्कूल और निजी प्राथमिक सक्घारे भी सम्मिलित हैं।
23. सम्बाकु विनिर्माण।
24. धर्मशाला।
25. बानिकी (फारेस्ट्री) लट्टा बनाने और काष्ठ कार्य, जिसके अन्तर्गत किसी अन्य वन उपज का संग्रहण और उससे मण्डी में ले जाना भी है।
26. दुकानों में
27. वाणिज्य अतिथिघानों में।
28. चावल मिल, आटा मिल या दास मिल।
29. तेल मिल।
30. लोक मोटर परिवहन।
31. यंत्रिक परिवहन कर्मशाला।
32. आटोमोबाइल रिपेयर कर्मशाला।
33. सड़कों के निर्माण या उन्हें बनाये रखने का निर्माण संक्रियाओं।
34. पत्थर तोड़ने या पत्थर कुटने।
35. पिक्न के कार्य।
36. दियासलाई उद्योग।
37. आइसक्रीमी/आइसक्रीम विनिर्माणशाला।
38. बेकरी और बिस्कुट विनिर्माणशाला।
39. धर्म विनिर्माणशाला।
40. एम्बेस्स शीमेन्ट कारखानों और अन्य शीमेन्ट उत्पाद विनिर्माणशाला।

41. लाण्डा और धुलाई अधिष्ठान।
42. जिल्दसाजी।
43. कोल्ड स्टोरेज।
44. पाटरी, सिरेमिक्स या रिफ्रेक्ट्रीज।
45. निजी मुद्रणालय।
46. सिनेमा उद्योग।
47. कपडा छपाई।
48. सिलाई उद्योग।
49. एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, यूनानी फार्मसी।
50. क्लब।
51. हथकरघा(सिल्क की साडी की बुनाई) जरी के कार्य।
52. कपड़ा धोने या प्रसाधन के साबुन या सिलिकेट या साबुन का घूर्ण या प्रक्षालक विनिर्माण।
53. ऊनी कम्बल बनाने के अधिष्ठान।
54. खाण्डसारी।
55. हथकरघा उद्योग।
56. शक्ति चालित करघा उद्योग।
57. छोटा(मिनीएचर) बल्ब एवम् कॉच उत्पादों के निर्माण।
58. कगज, गत्ता और पेपर बोर्ड उद्योग।
59. ईट भट्टा उद्योग।
60. ताला उद्योग के नियोजन में।
61. पीतल के बर्तनों एवं पीतल उत्पाद के विनिर्माण के नियोजन।
62. किसी निजी सुरक्षा और सेवा प्रदाता अभिकरण में नियोजित सुरक्षा कर्मी(सुरक्षा कर्मियों) जिन्में हथियार सहित/हथियार रहित आदि कर्मी सम्मिलित हों।
63. बुहारने और सफाई में नियोजन, जिसमें सफाई कर्मचारी नियोजन एवं शुष्क सौचालयों का निर्माण(प्रतिशोध) अधिनियम, 1993 के अन्तर्गत के निषिद्ध क्रिया-कलाप सम्मिलित नहीं है।
64. घरेलू कामगारों का नियोजन।
65. कम्प्यूटर हार्डवेयर उद्योग एवं सेवाओं में नियोजन।
66. एल0पी0जी0 वितरण एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
67. टैक्सीज, आटोरिक्सा/टैम्पो एवं ट्रेवेलिंग अभिकरण में नियोजन।
68. केबिल आपरेटर एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
69. गैर सरकारी संगठन(एन0जी0ओ0) एवं संबंधित सेवाओं में नियोजन।
70. विक्रय संवर्धन(विक्रय संवर्धन(सेवा शर्त)अधिनियम 1976 के अधीन सम्मिलित अथवा सम्मिलित किये जाने वाले किसी उद्योगों में) में नियोजन।
71. हेयर कटिंग सैलून एवं प्यूटी पार्लर(पुरुष एवं महिलायें) में नियोजन।
72. कारपोरेट कार्यालयों में नियोजन।
73. काल सेंटर/आई0टी0 इण्डस्ट्रीज/टेलीकालिंग सेवाओं आदि में नियोजन।
74. ऐसे प्रतिष्ठान जो किसी अनुसूचित नियोजन के अधीन आच्छादित न हों, में नियोजन।

(आर0पी0गुप्ता)
उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।

संख्या-618-25/कार्यालय, श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश, जी0 टी0 रोड, कानपुर।
संख्या प्रवर्तन-(एम0डब्लू0)/15 दिनांक 5/10/2021

प्रतिलिपि-

1. समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त, उ0प्र0 को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को अवगत करावे तथा श्रम सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा माँगे जाने पर उपलब्ध कराए।
2. अनुसूचित उ0प्र0शासन, श्रम अनुभाग-3, लखनऊ।
3. सहायक निदेशक, श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, (विज सेल) भारत सरकार नई ई-मेल wagecell@nic.in के माध्यम से
4. अधिशासी निदेशक उद्योग कंठु लखनऊ।
5. उप श्रम आयुक्त, (आई0 आर0), मुख्यालय, कानपुर।
6. अपर श्रम आयुक्त(कम्प्यूटर), मुख्यालय को समस्त क्षेत्रीय अपर/उप श्रम आयुक्त कोई ई-मेल के माध्यम से प्रेषित करने तथा वि वेबसाइट www.uplabour.gov.in पर अपलोड कराने हेतु।
7. श्री हिमाशु कुमार, पुस्तकालयध्यक्ष, मुख्यालय को अभिलेखार्थ प्रेषित।
8. समस्त प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों को जन सामान्य की जानकारी हेतु जनहित में निशुल्क प्रकाशनार्थ।

(आर0पी0गुप्ता)

उप श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
कृते श्रम आयुक्त, उत्तर प्रदेश।